

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil First Appeal No. 1896/2025

Smt. Mangi Devi Wife Of Late Shri. Kanha Urf Kanhiya Lal (Deceased)

----Appellant

Versus

Shankar Lal Son Of Late Shri Jagdish Ji

----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. Bhupender Pareek
For Respondent(s)	:	Mr. Mohd. Umar Farooq

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA
Order

09/01/2026

यह प्रथम अपील अपीलार्थी/प्रतिवादीगण की ओर से विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.10.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा प्रत्यर्थीगण/वादीगण का वाद बाबत बेदखली, मध्यवर्ती लाभ एवं स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री किया गया है।

सुना गया। अपील को सुनवाई हेतु ग्राह्य किया जाता है।

प्रत्यर्थीगण की तलबी हेतु आदेशिका शुल्क, नोटिस मय अतिरिक्त प्रति पेश करने पर अपील एवं स्थगन प्रार्थना-पत्र के नोटिस जारी हों।

प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री फारूक उपस्थित हैं, अतः उन्हें औपचारिक नोटिस जारी किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

अभिलेख तलब हो।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अंतरिम स्थगन की प्रार्थना की। सुना गया।

प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में आगामी तिथि तक विचारण न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या-5 जयपुर महानगर-प्रथम के दीवानी वाद संख्या 218/2007 शंकरलाल-बनाम-मांगी देवी आदि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.10.2025 की क्रियान्विति स्थगित रहेगी।

(SHUBHA MEHTA),J